संख्या-26/2015/1215 सी0डी0/46-3-15-1000(29)/2015

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(संलग्नक में इंगित जनपदों के अनुसार)

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 15 जून, 2015

विषयः- गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) में **अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत)** के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रू0 1480 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत **(प्रथम किश्त)** की धनराशि रू0 740 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अनुदान संख्या-23 (आयोजनागत) में प्राविधानित धनराशि रू0 14,80,00,000 (रू0 चौदह करोड़ अस्सी लाख मात्र) के सापेक्ष **50 प्रतिशत (प्रथम किश्त)** की धनराशि रू0 7,40,00,000 (रू0 सात करोड़ चालीस लाख मात्र) को, **संलग्नक-1** में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना पर प्रशासकीय अनुमोदन सहित, **संलग्नक-2** में जनपदवार/ कार्यक्रमवार निर्धारित किये गये लक्ष्य/फांट के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित कर व्यय की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान/आवंटन किया गया है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2043सी0डी0/46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाईड-लाईन्स) के तथा शासनादेश संख्या-595/सी0डी0-46-3-14-1000(14)/2014, दिनांक 28 फरवरी, 2014 में अल्पसंख्यकों के लिये 20 प्रतिशत मात्राकृत/निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार व्यय की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि जिला गन्ना अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का वितरण सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों द्वारा जिला गन्ना अधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/ आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

--------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति (दिनांक 31.03.2016) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

5- आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय नियमानुसार सक्षम स्तर की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

6- योजना में निहित राज्य/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/ वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

7- जनपदवार स्वीकृत की जाने वाली धनराशि की सीमा तक जनपद की जिला योजना में विभागीय अधिकारी द्वारा आवंटित परिव्यय के अधीन ही व्यय किया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायगी तथा आहरित धनराशि बैक/पी0एल0ए0/पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

9- स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-23 (आयोजनागत) के अधीन लेखा शीर्षक **''2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-108-वाणिज्यिक फसलें-06- गन्ना विकास की योजना (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(10) में प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव ।

संख्या-26/2015/1215-सी0डी0/46-3-15-1000(29)/2015 ,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/व्दितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

--------3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/व्दितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

4- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

6- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

7- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

8- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

9- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।

10- समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी।

11- समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।

12- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2

13- वित्त (व्यय-नियंतण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-26/2015/1215-सी0डी0/46-3-15-1000(29)/2015, दिनांक 15 जून, 2015 का

संलग्नक-1

वर्ष 2015-16 के लिए जिला योजना की सघन गन्ना विकास योजना हेतु अनुदान संख्या-23 (सामान्य) हेतु निर्धारित भैतिक लक्ष्य, लाभार्थियों की संख्या एवं देय अनुदान की धनराशि सहित अनुमोदित कार्ययोजना।

क्र0 सं0	कार्यक्रम	इकाई		लाभार्थियों की संख्या (अनुमानित)	देय अनुदान की धनराशि (लाख रू0में)
1	पौधशाला स्थापन				
	क-आधार पौधशाला	लाख कु0	1.733	3466	86.645
	ख-प्राथमिक पौधशाला	लाख कु0	8.93	17860	223.225
	बीज/भूमि उपचार	लाख हे0	0.975	195000	487.463
	पेड़ी प्रबन्ध	लाख हे0	0.976	195200	146.455
	बीज यातायात				
	क-अभिजनक बीज यातायात	लाख कु0	0.089	356	1.339
	ख-आधार बीज यातायात	लाख कु0	1.786	3572	12.50
	जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग	लाख हे0	0.871	174200	522.373
	योगः-				1480.00

(रूपया चौदह करोड़ अस्सी लाख मात्र)

नोटः-उपरोक्त लाभार्थियों में अल्पसंख्यक वर्ग के 20 प्रतिशत लाभार्थी भी सम्मलित हैं।

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-26/2015/1215-सी0डी0/46-3-15-1000(29)/2015, दिनांक 15 जून, 2015 का **संलग्नक-2**

गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) में अनुदान संख्या–23 में (सामान्य/आयोजनागत) के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यक्रमवार/जनपदवार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष (प्रथम किश्त) एवं अल्पसंख्यको हेतु 20 प्रतिशत मात्राकृत धनराशि **(धनराशि रु०में)**

क्र० सं०	नाम जनपद	आधार गन्ना बीज वितरण कार्यक्रम		प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम		अभिजनक बीज यातायात		आधार बीज यातायात		मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम		पेडी प्रबन्धन		बायोफर्टिलाईजर/वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग		कुल योग
		सामान्य	अल्प संख्यक	सामान्य	अल्प संख्यक	सामान्य	अल्प संख्यक	सामान्य	अल्प संख्यक	सामान्य	अल्प संख्यक	सामान्य	अल्प संख्यक	सामान्य	अल्प संख्यक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	सहारनपुर	147280	36820	379444	94861	2276	569	21248	5312	828604	207151	248948	62237	887948	221987	3144685
2	मुजफ्फरनगर	198092	49523	510348	127587	3060	765	28580	7145	1114468	278617	334832	83708	1194280	298570	4229575
3	शामली	81912	20478	211036	52759	1264	316	11816	2954	460848	115212	138460	34615	493852	123463	1748985
योग मण्डल		**427284**	**106821**	**1100828**	**275207**	**6600**	**1650**	**61644**	**15411**	**2403920**	**600980**	**722240**	**180560**	**2576080**	**644020**	**9123245**
4	मेरठ	167876	41969	432504	108126	2596	649	24220	6055	944476	236119	283760	70940	1012116	253029	3584435
5	बागपत	113792	28448	293172	73293	1756	439	16416	4104	640200	160050	192344	48086	686052	171513	2429665
6	गाजियाबाद	27820	6955	71672	17918	432	108	4012	1003	156512	39128	47024	11756	167720	41930	593990
7	बुलन्दशहर	83852	20963	216032	54008	1296	324	12096	3024	471760	117940	141736	35434	505544	126386	1790395
8	हापुड़	39672	9918	102200	25550	612	153	5724	1431	223180	55795	67052	16763	239164	59791	847005
योग मण्डल		**433012**	**108253**	**1115580**	**278895**	**6692**	**1673**	**62468**	**15617**	**2436128**	**609032**	**731916**	**182979**	**2610596**	**652649**	**9245490**
9	मुरादाबाद	87208	21802	224672	56168	1348	337	12580	3145	490624	122656	147404	36851	525760	131440	1861995
10	रामपुर	44128	11032	113684	28421	680	170	6368	1592	248256	62064	74588	18647	266036	66509	942175
11	सम्भल	55832	13958	143840	35960	864	216	8056	2014	314104	78526	94368	23592	336596	84149	1192075
12	अमरोहा	101796	25449	262268	65567	1572	393	14688	3672	572720	143180	172072	43018	613740	153435	2173570

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13	बिजनौर	325264	81316	837996	209499	5028	1257	46924	11731	1829952	457488	549796	137449	1961012	490253	6944965
योग मण्डल		**614228**	**153557**	**1582460**	**395615**	**9492**	**2373**	**88616**	**22154**	**3455656**	**863914**	**1038228**	**259557**	**3703144**	**925786**	**13114780**
14	बरेली	128828	32207	331904	82976	1992	498	18588	4647	724788	181197	217756	54439	776696	194174	2750690
15	बदायूं	33736	8434	86912	21728	520	130	4868	1217	189792	47448	57024	14256	203384	50846	720295
16	पीलीभीत	125612	31403	323620	80905	1940	485	18120	4530	706700	176675	212324	53081	757312	189328	2682035
17	शाहजहांपुर	98892	24723	254780	63695	1528	382	14268	3567	556368	139092	167160	41790	596212	149053	2111510
18	कासगंज	9196	2299	23692	5923	144	36	1328	332	51736	12934	15544	3886	55440	13860	196350
19	अलीगढ	22020	5505	56700	14175	340	85	3176	794	123820	30955	37200	9300	132684	33171	469925
योग मण्डल		**418284**	**104571**	**1077608**	**269402**	**6464**	**1616**	**60348**	**15087**	**2353204**	**588301**	**707008**	**176752**	**2521728**	**630432**	**8930805**
20	लखीमपुर खीरी	390312	97578	1005576	251394	6032	1508	56308	14077	2195900	548975	659744	164936	2353164	588291	8333795
21	सीतापुर	214072	53518	551512	137878	3308	827	30880	7720	1204364	301091	361844	90461	1290616	322654	4570745
22	रायबरेली	4136	1034	10652	2663	64	16	596	149	23256	5814	6988	1747	24920	6230	88265
23	फरूर्खाबाद	24504	6126	63128	15782	380	95	3536	884	137856	34464	41420	10355	147728	36932	523190
24	हरदोई	64376	16094	165848	41462	996	249	9288	2322	362172	90543	108812	27203	388108	97027	1374500
25	कानपुर	11296	2824	29104	7276	176	44	1632	408	63552	15888	19092	4773	68104	17026	241195
योग मण्डल		**708696**	**177174**	**1825820**	**456455**	**10956**	**2739**	**102240**	**25560**	**3987100**	**996775**	**1197900**	**299475**	**4272640**	**1068160**	**15131690**
26	फैजाबाद	53852	13463	138736	34684	832	208	7768	1942	302964	75741	91024	22756	324660	81165	1149795
27	सुल्तानपुर	15612	3903	40220	10055	240	60	2252	563	87832	21958	26388	6597	94120	23530	333330
28	बाराबंकी	12300	3075	31692	7923	188	47	1776	444	69204	17301	20792	5198	74156	18539	262635
29	जौनपुर	4404	1101	11344	2836	68	17	632	158	24776	6194	7444	1861	26548	6637	94020
30	गाजीपुर	5452	1363	14048	3512	84	21	784	196	30672	7668	9216	2304	32872	8218	116410
31	वाराणसी	3788	947	9756	2439	60	15	548	137	21308	5327	6400	1600	22836	5709	80870
32	अम्बेडकरनगर	29972	7493	77216	19304	464	116	4324	1081	168620	42155	50660	12665	180696	45174	639940
योग मण्डल		**125380**	**31345**	**323012**	**80753**	**1936**	**484**	**18084**	**4521**	**705376**	**176344**	**211924**	**52981**	**755888**	**188972**	**2677000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

33	गोण्डा	121092	30273	311968	77992	1872	468	17468	4367	681256	170314	204680	51170	730048	182512	2585480
34	बलरामपुर	143760	35940	370380	92595	2220	555	20740	5185	808808	202202	243000	60750	866728	216682	3069545
35	बहराईच	120332	30083	310016	77504	1860	465	17360	4340	676988	169247	203396	50849	725468	181367	2569275
योग मण्डल		**385184**	**96296**	**992364**	**248091**	**5952**	**1488**	**55568**	**13892**	**2167052**	**541763**	**651076**	**162769**	**2322244**	**580561**	**8224300**
36	गोरखपुर	7972	1993	20544	5136	124	31	1152	288	44860	11215	13476	3369	48072	12018	170250
37	बस्ती	112928	28232	290932	72733	1744	436	16292	4073	635320	158830	190880	47720	680820	170205	2411145
38	महराजगंज	30780	7695	79300	19825	476	119	4440	1110	173164	43291	52024	13006	185560	46390	657180
39	सिद्धार्थनगर	4196	1049	10808	2702	64	16	604	151	23604	5901	7092	1773	25296	6324	89580
योग मण्डल		**155876**	**38969**	**401584**	**100396**	**2408**	**602**	**22488**	**5622**	**876948**	**219237**	**263472**	**65868**	**939748**	**234937**	**3328155**
40	देवरिया	22212	5553	57220	14305	344	86	3204	801	124952	31238	37540	9385	133900	33475	474215
41	कुशीनगर	131068	32767	337676	84419	2024	506	18908	4727	737392	184348	221544	55386	790200	197550	2798515
42	मऊ	17856	4464	46004	11501	276	69	2576	644	100460	25115	30184	7546	107656	26914	381265
43	बलिया	6404	1601	16500	4125	100	25	924	231	36032	9008	10828	2707	38612	9653	136750
44	आजमगढ	20316	5079	52344	13086	316	79	2932	733	114300	28575	34340	8585	122484	30621	433790
योग मण्डल		**197856**	**49464**	**509744**	**127436**	**3060**	**765**	**28544**	**7136**	**1113136**	**278284**	**334436**	**83609**	**1192852**	**298213**	**4224535**
सम्पूर्ण योग		**3465800**	**866450**	**8929000**	**2232250**	**53560**	**13390**	**500000**	**125000**	**19498520**	**4874630**	**5858200**	**1464550**	**20894920**	**5223730**	**74000000**

(रू० सात करोड़ चालीस लाख मात्र)

नोटः– जनपद शामली, हापुड, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरित कर इन जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in